तारीख हुक्म/हस्ताक्षर पार्टी	कार्यवाही विवरण
17/4/26 हाँ का है	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी पुष्कर लाल उपस्थित, अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित प्रकरण आवश्यक प्रकृती का होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया की मौजा अग्गु पटवार हल्का अग्गु के खाता सं. 657 मे वर्णित वाद ग्रस्त आराजी 847/34 रकबा 04 बिघा - बिस्वा भूमी स्थित है। जो की प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त सम्पत्ति को विक्रय करने की नियत से सम्पूर्ण संयुक्त भूमी पर कब्जा किया जा रहा है, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त कृत्य करने मना किया तो अप्रार्थीयो की संख्या ज्यादा होने व अपनी ताकत के बल पर प्रार्थी के साथ मारपीट करने को उतारू हो गये, अप्रार्थीयो को उक्त कृत्य करने से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, अत: अपनी अन्तिम बहस के अन्त के अन्त मे अप्रार्थीयो को उक्त कृत्य करने से रोकने व रेकॉर्ड व रेकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने तथा उक्त भूमी को बेचान खुर्द-बुर्द नही करने बाबत मूलवाद निस्तारण होने तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाये जाने का निवेदन किया गया हमने प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया मौजा अग्गु के खाता संख्या 657 मे वर्णित वाद ग्रस्त आराजी 847/34 रकबा 04 बिघा - बिस्वा भूमी की आराजीयात, प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमी है, जब तक संयुक्त खातेदारी भूमी का विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक इंच का मालीक एवं स्वामी होता है, अप्रार्थी संयुक्त भूमी पर कब्जा करने हेतु आमादा है, जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थी के

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर (राज.)

बनाम

मुकदमा ________ पत्रावली संख्या ________ सन ________

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी
	पक्ष मे होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीयो को उक्त कृत्य करने से रोका जाना प्रतीत होता है। अतः मौजा अमरपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 के खाता सं. 657 मे वादग्रस्त आराजी 847/34 के भूमी के मौके एवं रेकॉर्ड की यथा स्थिति व संयुक्त सम्पति को खुर्द-बुर्द नहीं करने हेतु उभयपक्ष को मूल वाद निस्तारण होने तक उक्त आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है ता फैसला मूल वाद के साथ सलंग्न रहे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया/	